संख्या-31 /2018-1328/58-2018-86/2018

प्रेषक

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2018**

विषय: **वित्तीय वर्ष 2018-19 में फलपटिटयों के विकास की योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-50.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34/बजट/2018-19 दिनांक 09.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-10 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0312-फलपटिटयों के विकास की योजनान्तर्गत 27-सब्सिडी में आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0-50.00 लाख (रूपये-पचास लाख) मात्र निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार दो-दो माह की फेजिंग करते हुए किया जाय तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(6) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन एवं वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आय-व्ययक 2018-19 के बजट साहित्य में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं प्राविधानित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायोगा।

(9) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ एवं वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह के 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

<u>संख्या-31/2018/1328(1)/58-2018 तद्दिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)

उप सचिव।

http://chasanadesh.up.nic.in